न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–80/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/80

अपीलाण्ट :–	वनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1.चेनाराम पुत्र श्री पूनमाराम 2. बाबूलाल पुत्र श्री पूनमाराम 3. मगाराम पुत्र श्री पूनमाराम 4. पोपटलाल पुत्र श्री पूनमाराम 5. मुंगीदेवी पत्नी श्री पूनमाराम 6. नरसिंगाराम पुत्र श्री लालाजी सभी जाति ब्राह्मण निवासी पालड़ी सोलंकिया, तहसील सांचोर जिला जालोर।		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सांचोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2019 जो उपखण्ड अधिकारी, सांचोर राजस्व
प्रार्थना पत्र संख्या 1/2019 अनवान चैनाराम वगैरा बनाम सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री लादूराम पुनीया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 28/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, सांचोर, के आदेश दिनांक 10.06.2019 व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलव किया गया।

3. वहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने वहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा

28/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश मनमाना व विधि, न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलार्थीगण ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सांचोर के समक्ष दिनांक 31.12.2018 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रत्यर्थी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की ग्राम पालडी सोलंकिया तहसील सांचोर के भूमि ख0न0 74, 1149, 1159, 1160 कुल रकवा 1.16 हैक्टर आयी हई है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 459 रकवा 5 बीघा 19 विस्वा व ख०न० 460 रकवा 1 बीघा 5 बिस्वा है गांव पालडी सॉलंकियान का वर्ष 1993 में हुआ द्वितीय भूमाप मे केवल प्रथम भूमाप की परिविष्टियो को ही दोहरायी जाती है तथा उसमे परिवर्तन भूमाप अधिकारी नही कर सकते है तथा भूमि की किश्म को भी परिवर्तन नही कर सकते है फिर भी नये भूमाप अधिकारियो द्वारा अपीलार्थी के पुराने ख0न0 459 में से नवीन ख0न0 1156 नवसृजित कर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया एवं द्वितीय सेटलेन्ट के नक्शे में भी गेरमुमकिन रास्ता दिखा करके अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को गैरमुमकिन रास्ते मे बदल दिया जिसकी दुरूस्ती की जावे तथा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को पुनः खातेदारी मे बहाल की जावे तथा रास्ते की गैरकानूनी प्रविष्टि को हटाया जावे।

विपक्षी राज्य सरकार के जबाब प्रस्तुत होने के बाद पत्रावली दिनांक 10.06.2019 को रखी गयी तथा उस दिन बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये अपीलार्थी के रेकर्ड दुरूस्ती के प्रार्थनापत्र को केवल मात्र ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाये जाने का आधार देकर अस्वीकार किये जाने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया।

विवादित भूमि दर्ज किया गया गैरमुमकिन रास्ता ग्राम पंचायत की खातेदारी मे दर्ज नही किया है तथा राज्य सरकार के जबाब के अनुसार मौके पर कोई रास्ता नही है तब वर्तमान मामले में ग्राम पंचायत कतई आवश्यक पक्षकार नही है, इसलिये ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नही है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने ग्राम पंचायत किस प्रकार से आवश्यक पक्षकार है का कोई कारण अपने अपीलाधीन आदेश मे नही दिया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश कतई गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को केवल ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण अस्वीकार करने मे भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। जबकि स्वयं न्यायालय को आदेश 1 नियम 10 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किसी भी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये जाने के अधिकार दिये गये है जिसके तहत ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जा सकता है तथा इस आधार पर अपीलार्थीगण को प्रार्थनापत्र खारिज करना कतई अनुचित एवं न्याय संगत नही कहा जा सकता है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने संबंधित ग्राम पंचायत मामले मे आवश्यक पक्षकार होने के बिन्दू को पक्षकारान के समक्ष निर्धारण करके सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित कर दिया, जो आदेश मनमाना व गैरकानूनी होने निरस्त किये जाने के योग्य है।

द्वितीय भूमाप को पुराने सेटलमेन्ट की परिविष्टियो को दोहराये जाने का ही अधिकार कानून मे दिया गया है तथा उनको भूमि की किश्म को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। जबकि द्वितीय भूमाप अधिकारियो द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि के भाग को कृषि से गेरमुमकिन रास्ते में परिवर्तन कर दिया जो कार्यवाही मनमानी व क्षेत्राधिकार के बाहर की होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उक्त गलती को दुरूस्त करने से गलत मना किया है, जो आदेश भी विधि एवं न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

द्वितीय सेटलमेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकारों मे गैरकानूनी परिवर्तन किये गये है, जिसको दुरूस्त करवाने के अपीलार्थीगण अधिकारी है परन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थीगण के रेकर्ड दुरूस्ती के प्रार्थनापत्र को बिना कोई जांच निरस्त कर दिया, जो आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2019 को निरस्त व रद्द किये जाने का आदेश फरमावें तथा अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण के नवीन खसरा नम्बर 1156 में खातेदारी की परिविष्टि को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें तथा अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया गयाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। न ही अपीलाण्ट को सी पी सी क विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2019 के अनुसार ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना आवश्यक होने पर अधीनस्थ न्यायालय सुमोटो भी पक्षकार के रूप में नाम दर्ज कर उनका पक्ष सुना जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि क प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर 01/2019 दिनांक 10.06.2019 को अपास्त किया जाता है।न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ पुनः

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं परीक्षण करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तथा ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देवे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

28/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

28/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)